

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते



संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक: 13 / झुंझुनूं / 1959-60

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जानकी देवी मण्डेलिया  
होम साइन्स एजुकेशनल सोसायटी, पिलानी का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत दिनांक  
18 मई सन् 1958 को किया गया था।

अब इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर श्रीमती जानकी देवी  
मण्डेलिया एजुकेशनल सोसायटी, पिलानी  
जिला झुंझुनूं कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से दिनांक 02 जुलाई सन्  
2019 को झुंझुनूं में जारी किया गया।

रजिस्ट्रार (संस्था)  
झुंझुनूं